कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण
गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर– 263145

पत्रांकः डीएएम/सीयूजी/2025/6499 दिनांकः 03-10-2025

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय कार्यहित में विश्वविद्यालय के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यदायित्वों के निर्वहन हेतु पदेन रूप से सी.यू.जी. प्लान के अन्तर्गत सिम उपलब्ध कराये गये हैं। प्रायः देखने में आ रहा है कि कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्त/स्थानान्तरण तथा कार्यदायित्वों से कार्यमुक्त होने के उपरांत विश्वविद्यालय कार्यहित में उनको पदेन कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये सिम को उनके द्वारा अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत नहीं किया जा रहा है और न ही सिम को निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय में जमा किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सिम का उपयोग निजी रूप से किया जा रहा है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को सिम उपलब्ध कराते समय अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त/स्थानान्तरण तथा कार्यदायित्वों से कार्यमुक्त होने के उपरांत सिम को अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत कराने अथवा निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय में जमा कराये जाने हेतु पूर्व में भी सूचित किया जाता रहा है।

विश्वविद्यालय द्वारा सिम पदेन कार्यदायित्वों के निर्वहन हेतु विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गये हैं इसलिये इन सिमों का रिचार्ज प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा यह मानते हुये कराया जाता है कि इन सिमों का प्रयोग विश्वविद्यालय कार्यहित में संबंधित पदेन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। परन्तु कतिपय प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय कार्य हेतु पदेन रूप से उपलब्ध कराये गये सिमों का उपयोग कतिपय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने पद से कार्यमुक्त होने के उपरांत भी निजी प्रयोग हेतु किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये सिम को निजी रूप में उपयोग में लाना वित्तीय/प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित/नियमानुसार नहीं है।

Dean C.T. Office
Receipt No.: 3429
Dated: 6-10-25

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है किः

1. विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनको विश्वविद्यालय कार्यहित में पदेन रूप से सी.यू.जी. सिम विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी संबंधित पद से कार्यमुक्त होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सी.यू.जी. सिम को अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत करना अथवा निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।

2. विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनको विश्वविद्यालय कार्यहित में पदेन रूप से सी.यू.जी. सिम विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सी.यू.जी. सिम को निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।

All HODs/Unit Incharge

3. विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनको विश्वविद्यालय कार्यहित में पदेन रूप से सी.यू.जी. सिम विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, विश्वविद्यालय में सिमों की सीमितता के दृष्टिगत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के सेवानिवृत्त/पदेन दायित्वों से पदमुक्त होने के उपरांत किसी भी दशा में

व्यक्तिगत प्रयोग हेतु सिम उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे तथा संबंधित को सिम अपने प्रतिस्थानी अथवा निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।

4. विश्वविद्यालय ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनको विश्वविद्यालय हित में पदेन कार्यदायित्वों के निर्वहन हेतु सिम उपलब्ध कराया गया है, ऐसे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदेन दायित्वों से कार्यमुक्त होने के उपरांत यदि सिम अपने प्रतिस्थानी को अथवा निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय में जमा नहीं कराया जाता है, तो ऐसे सिम को निदेशक, प्रशासन एंव अनुश्रवण कार्यालय द्वारा अपने स्तर से ही स्वैप (SWAP) करा दिया जायेगा।

उक्त आदेश कुलपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.09.2025 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

(बी0एस0 चलाल)पी0सी0एस0
निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रतिलिपिः

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/इकाई प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय को सूचनार्थ।

website